रूप है। कौन-सा धर्म अच्छा है और कौन-सा धर्म भ्रमपूर्ण है—यह बहस ही निरर्थक है। इसके जनजाति के मौलिक धार्मिक संगठन को सम्मान दिया जाना चाहिए और उसमें परिवर्तन उद्विकासीय गति से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। यह आवश्यक रूप से दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें हस्तक्षेप के परिणाम घातक हो सकते हैं।

(VII) राजनीतिक संगठन में जटिलता (Complexity in political organization)—जनजातीय परिवेश राजनीतिक जटिलता का भी शिकार हो गया है। वहाँ परम्परागत जनजाति पंचायत, उसके मुखिया या देशमुख भी बने हुए हैं और प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित पंचायतों के गठन के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन कर्मचारी; जैसे—पटवारी, चौकीदार, थानेदार आदि भी जनजातीय जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन अधिकारी और विकास अधिकारी भी जनजातियों के लिए समझ में न आने वाली राजनीतिक संगठन की जटिलता के प्रसार में योगदान दे रहे हैं।

इसी प्रकार, उनकी परम्परागत पंचायती न्याय व्यवस्था में भी दरारें पड़ने लगी हैं। पढ़े-लिखे आदिवासी या समृद्ध आदिवासी परम्परागत पंचायत के फैसलों की उपेक्षा करने लगे हैं। अदालतों पर आधारित आधुनिक न्याय व्यवस्था की पेचीदगी उनकी समझ से बाहर हैं और वे भोले-भाले लोग इसमें फँस कर लुट जाते हैं।

देश में प्रजातान्त्रिक प्रणाली, जो बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित है, भी जहाँ उनमें नई राजनीतिक चेतना पैदा कर रही है, वहीं पर राजनीतिबाजों के कुचक्र का उन्हें शिकार भी बना रही है। राजनीति उन्हें झूठे आश्वासन देती है, जो उनकी निराशाओं को बढ़ाते हैं और कई जगह चुनाव की राजनीति उनमें दंगे और विद्रोह को भड़काती है।

इन सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न जटिल समस्याओं का हल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम जनजाति-क्षेत्रों के लिए राजनीतिक ढाँचे को सरल बनाएँ। यह नया राजनीतिक ढाँचा ऐसा हो जो उनके परम्परागत तत्त्वों को अपने में शामिल कर सके। सार्वभौमिक मताधिकार तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन यह हो सकता है कि हम जनजातीय क्षेत्रों से प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया को कुछ भिन्न रूप में लागू करें। परम्परागत न्याय व्यवस्था को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और सामान्य रूप से उनके निर्णयों का अदालतों में सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट अन्याय का मामला न दिखाई देता हो। माननीय जजों को न्याय-अन्याय का निर्धारण करते समय सम्बन्धित जनजाति के इतिहास व परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए जनजाति की दृष्टि से ही प्रत्येक मामले को देखना चाहिए, न कि आधुनिक शिक्षा या कानून की दृष्टि से। इसी भाँति, प्रशासनिक व विकास कर्मचारी भी व्यावहारिक मानवशास्त्र की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण दिए जाने पर ही जनजातीय इलाकों में नियुक्त किए जाने चाहिए।

(VIII) शैक्षिक समस्या (Problem of education)—जनजाति के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं और वे शिक्षा के अवसरों की माँग भी कर रहे हैं। सरकार ने उनके लिए छात्रवृत्तियों या आरक्षित प्रवेश या छात्रावास सुविधाओं की नीतियों को अपनाया है। परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बाहरी नई व्यवस्था को, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सीधे रूप से अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक समूह पर आरोपित नहीं किया जा सकता। आधुनिक स्कूलों की औपचारिक शिक्षा प्रणाली वहाँ सफल नहीं होगी। एक तो नितान्त गरीबी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाते हैं, दूसरे अक्षर ज्ञान पर आधारित सामान्य पाठ्यक्रम जनजातियों के बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाते। यह शिक्षा उन्हें अपने जीवन के लिए सन्दर्भहीन लगती है। **ब्रह्मदेव शर्मा** ने इस दिशा में बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है कि यहाँ स्कूल की एक

Scanned with CamScanner

अध्यापिका ने जनजातीय बालक की किसी गलती पर उसे डाँटा और उसके कान पकड़े। अगले दिन से बालक ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि 'ढौंकी' (स्त्री) के हाथ से वहाँ पिटने नहीं जाएगा, यह तो उसका अपमान है, फिर वह मर्द काहे का है?

स्पष्ट है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि दोनों में ही परिवर्तन करना होगा। शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धित जनजाति के परिवेश के अनुसार हो और जनजाति की आवश्यकता को पूरा करने वाले पाठ्यक्रम हों तो सम्भवत: वे इसकी ओर आकार्षित हो जाएँ।

(IX) स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्या (Health problem)—सांस्कृतिक सम्पर्कों ने कुछ नई बीमारियों को आदिवासी क्षेत्रों में फैलाया है जिनसे लड़ने के लिए उनकी परम्परागत जादू-टोने और जड़ी-बूटियों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। उदाहरणार्थ, यौन रोग, टी० बी० आदि को वे नहीं समझ पा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ उन्हें या तो उपलब्ध हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बड़ी दूर-दूर बिखरी हुई और नहीं के बराबर हैं। इस परिस्थिति ने जनजातियों में ऐसा नैराश्य भर दिया है कि वे जीने का उत्साह भूलने लगे हैं।

स्वास्थ्य मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और जो जादू-टोने या जड़ी-बूटियाँ उपयोगी सिद्ध हों उन्हें चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कर लिया जाए। साथ ही, कुछ प्राथमिक उपचार जैसे तरीकों का जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें चिकित्सा प्रणाली का एक अंग बनाया जाए। इस दिशा में ईसाई मिशनरियों के कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए।

(X) स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में ह्रास (Decline in the position of women)—जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति बड़ी विषम होती जा रही है। **ब्रह्मदेव शर्मा** ने अनेक ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया है जहाँ जनजाति की भोली-भाली किशोरियाँ, जो समानता, स्वतन्त्रता व शिथिल यौन नैतिकता के पर्यावरण में पलीं हैं, कैसे इन सभ्य कहलाने वाले छोटे-मोटे अधिकारी, व्यापारी, तकनीशियन या श्रमिकों द्वारा छली जाती हैं। कभी धोखे से, कभी पैसे के बल पर, कभी केवल शक्ति प्रयोग से इन अल्हड़ बालाओं को वे अपनी अंकशायिनी बना लेते हैं। **शर्मा** के शब्दों में ही "कभी-कभी तो मीठी गोलियाँ, नहाने के साबुन की टिकिया, पाउडर का डिब्बा आदि तक इन मासूम किशोरियों को फाँसने के लिए पर्याप्त होता है।" वे एक खुशहाल आरामदेह जिन्दगी के लिए आकर्षित होती हैं। परन्तु जब उन्हें पता चलता है कि सभ्य मनुष्य के लिए स्त्री एक "कमजोर वर्ग" है, परावलम्बी है और इस सभ्य मानव ने उसे कोई स्थायी सहारा नहीं दिया है तो उसका मोह जाल टूटता है। वह परिवार में साझेदारी, निर्णयों में समानता के मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक व्यवस्था से सम्बन्धित होती है। वह पाती है कि वह दोहरे पतन के जाल में फँस गई है। एक ओर तो वह साहब की केवल 'रखैल' है जिसकी देह का मोल कुछ सिक्कों के सिवाय कुछ नहीं है, तो दूसरी ओर वह अपने समाज में स्वयं को तिरस्कृत और कभी-कभी बहिष्कृत पाती है। जनजाति समाज ऐसी स्त्रियों को प्राय: अपराधी मानते हैं जो किसी की पैसों के लिए रखैल बन जाए और सन्तान उत्पन्न करे। ऐसी स्त्रियों का समाज में पुनर्वास एक कठिन समस्या बन जाता है।

इतना ही नहीं, कहीं-कहीं आदिवासी स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य अथवा प्रेरित की जाती हैं। जौनसार बाबर के 'कोलटा' लोगों में यह समस्या बड़ी गहन हो गई है। वहाँ बहुपति प्रथा वाला समाज है। किसी आदिवासी स्त्री का वेश्यागृह तक पहुँचने का घटनाक्रम प्राय: सुनिश्चित-सा है। **ब्रह्मदेव शर्मा** के शब्दों में, "सबसे पहले इन परिवारों को गरीबी के कारण खाने-पीने, विवाह-शादी इत्यादि के अवसर पर ऋण लेना पड़ता है। एक बार ऋणी होने पर उनकी जीविका के

Scanned with CamScanner